उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1
संख्या-11/2017/338/84-1-17-5बामा/15
लखनऊ दिनॉक 18 अप्रैल, 2017

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-8/2017/419/84-1-16-5बामा/15, दिनांक 07.04.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत प्रथम पांच माह हेतु लेखाशीर्ष-3475 में प्राविधानित धनराशि रू0 55,42,51,000/- के सापेक्ष रू0 21,92,75,000/- (रूपये इक्कीस करोड़ वानवे लाख पच्चहत्तर हजार मात्र) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, खाद्य एवं रसद सचिव शाखा के निवर्तन पर रखी गई है।

2- उक्त शासनादेश के कालम-1 के वेतन मद के कालम-4 में त्रुटिवश रू0 19,29,00,000/- के स्थान पर रू0 19,25,00,000/- एवं कालम-6 में रू0 19,32,00,000/- के स्थान पर रू0 19,28,00,000/- तथा कालम-1 के मद संख्या-13 टेलीफोन पर व्यय मद में कालम-2 में रू0 3,00,000/- के स्थान पर रू0 13,00,000/- कालम-4 व 6 में रू0 1,20,000/- के स्थान पर रू0 5,20,000/- टंकित हो गया है।

3- अत: उक्त शासनादेश दिनांक 07.04.2017 के कालम-1 वेतन मद में कालम-4 व 6 में क्रमश: रू0 19,29,00,000/- एवं रू0 19,32,000/- तथा मद संख्या-13 टेलीफोन पर व्यय मद के कालम-2 में रू0 13,00,000/- के स्थान पर रू0 3,00,000/- एवं कालम-4 व 6 में रू0 5,20,000/- के स्थान पर रू0 1,20,000/- पढ़ा जाय।

4- अत: शासनादेश संख्या-08/2017/919/84-1-16-5बामा/15, दिनांक 07.04.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी।

भवदीय,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या-11/2017/338(1)/84-1-17-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- अनु सचिव/आहरण एवं वितरण अधिकारी, खाद्य एवं रसद सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश शासन।
8- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग, खाद्य एवं रसद विभाग।
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in